

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाण्डू

शंकर बनाम नीतराठ
 संख्या / वर्ष : 82 / 2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/12/24	<p>पत्तावली आज वाक्ये आदेश पेश ह्यी बहल वकील वादी की पूर्व से लुनी जा चुकी है।</p> <p>बहल वकील उक्तपक्षों को लुनने व पत्तावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादी जरिए इकरारनामा के आधार पर घोषणा करवाना चाहता है जो धारा - 51 राज. कानूनकारी अधिनियम के तहत अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है।</p> <p>अतः धारा - 51 R.A. के तहत अंतरण की श्रेणी में नहीं होने से दावा थारिज किया जा सकता है।</p> <p style="text-align: right;">पत्तावली केवल शुमार लेकर रजि नम्बर ले कर दी।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p>	